डॉ॰ बी॰ आर॰ अम्बेडकर एवं स्मृति साहित्य : विभिन्न वर्णों से सम्बन्धित वैधानिक व्यवस्था की मीमांसा

नरेन्द्र कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास), दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

सारांश :हिन्दुओं के धार्मिक साहित्य में स्मृतियों का प्रमुख स्थान है। श्रुति के पश्चात् धार्मिक कार्य–कलापों में स्मृतियों की मान्यता है। प्राचीन काल में स्मृतिकारों ने इस समग्र भूमण्डल की प्रतीकता, संस्कृति तथा व्यवहारिकता का जो सविस्तार वर्णन अपने ग्रन्थों में किया है, उन्हें ही स्मृति के नाम से जाना जाता है।

भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार वेद संस्कृति के आधार ग्रन्थ हैं, उसी प्रकार स्मृतियाँ भी संस्कृति के आधार एवं प्रमाणिक ग्रन्थ हैं। स्मृति ग्रन्थ हिन्दुओं की आचार संहिता हैं तथा इनमें मनुष्य के कर्तव्यों एवं अधिकारों का विशद् विवरण मिलता है। हिन्दुओं के सामाजिक और धार्मिक आचार–विचार स्मृतियों द्वारा निर्धारित हैं। इस कारण कानूनी ग्रन्थ होने के बावजूद ये स्मृतियाँ हिन्दुओं के पवित्र साहित्य का एक अंग हैं।

***प्रस्तवाना* :**

प्रस्तुत शोध–पत्र में स्मृति साहित्य में वर्णित विभिन्न वर्णों से सम्बन्धित वैधानिक व्यवस्था के सम्बन्ध में डॉ॰ अम्बेडकर की मीमांसा को समझने का प्रयास किया गया है।

डॉ॰ अम्बेडकर के अनुसार, वैसे तो स्मृतियों की संख्या बहुत अधिक है, परन्तु इनका स्रोत एक ही है। यह स्रोत है, 'मनुस्मृति', जो मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। अन्य स्मृतियाँ मनुस्मृति की पुनरावृत्ति मात्र ही हैं।[1] मनु का महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उसने वर्ण आधारित अपराधिक कानून का प्रतिपादन किया था।

डॉ॰ अम्बेडकर ने स्मृतियों में विभिन्न वर्णों से सम्बन्धित कानूनी विधानों की मीमांसा करते हुए कहा है कि इन कानूनों में भेदभाव नजर आता है। मनु असमानता के नियम को बनाए रखने के लिए उत्सुक था। भारतीय समाज में प्रचलित विभिन्न वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य उच्च वर्ग में तथा शूद्र निम्न वर्ग में आते थे। इन चारों वर्णों में ब्राह्मण का स्थान सर्वोपरि था। ब्राह्मणों की इसी उच्च स्थिति को स्मृतिकारों ने और भी अधिक सुदृढ़ कर दिया था। मनु ने ब्राह्मण को भू–देव अर्थात् पृथ्वी के देवता की संज्ञा दी तथा उन्हें विशेष अधिकार प्रदान किए। मनु के अनुसार, ब्राह्मण से सम्बन्धित कानूनी विधाएं या विशेषाधिकार इस प्रकार है :–

1.88 ब्राह्मणों के लिए उसने वेद पढ़ना और पढ़ाना, अपने तथा दूसरों के लाभ के लिए यज्ञ करना व कराना, दान देना और लेना कर्म निर्धारित किए हैं।[2]
4.2 ब्राह्मण विपत्ति के समय को छोड़कर शेष समय में अपनी आजीविका इस प्रकार ग्रहण करे कि जिसके कारण अन्य लोगों को पीड़ा न हो।
4.3 मात्र आजीविका प्राप्त करने के लिए वह अपने शरीर को अनुचित रूप से कष्ट न देकर ऐसे अनिंदनीय व्यवसायों का अनुसरण कर धन का संग्रह करे, जो उसकी जाति के लिए निर्धारित है।[3]
8.9 यदि राजा अभियोगों की जांच स्वयं नहीं करता, तब उसे इन अभियोगों पर विचार करने के लिए विद्वान ब्राह्मण की नियुक्ति करनी चाहिए।[4]
8.37 जब किसी विद्वान ब्राह्मण को कोई निधि मिल गई हो और उसने उसे उसी भांति जमा कर दिया हो, तब वह उस सम्पूर्ण निधि को ले सकता है, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु का स्वामी है।
8.38 जब राजा को भूमि में गड़ी हुई कोई पुरानी निधि मिल जाए, तब उसे उसका आधा भाग ब्राह्मणों को दे देना चाहिए।[5]

डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा है कि मनु के अनुसार, ब्राह्मणों को अपराध करने पर अन्य वर्णों की तुलना में बहुत कम दण्ड दिया जाना चाहिए। उनके लिए दण्ड सम्बन्धी विधान पर मनु ने कहा है कि :–

8.379 ब्राह्मण के लिए मृत्यु दण्ड के स्थान पर उसका सिर मुंडा देना निश्चित किया गया है, लेकिन अन्य वर्णों को मृत्यु दण्ड ही भुगतना होगा।[6]
8.385 जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य जाति की आरक्षित स्त्रियों या शूद्र जाति की स्त्री के साथ सहवास करता है, उसके लिए पाँच सौ पण का, लेकिन सबसे नीची जाति अर्थात् अन्त्यज की स्त्री के साथ सहवास करने पर एक हजार पण का दण्ड दिया जाना निर्धारित था।[7]

डॉ॰ अम्बेडकर का कहना है कि मनु के अनुसार, ब्राह्मण समस्त सृष्टि का स्वामी है, क्योंकि मनु यह चेतावनी देता है कि :–

9.317 जिस प्रकार शास्त्रविधि से स्थापित अग्नि और सामान्य अग्नि दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण चाहे वह मुर्ख हो या विद्वान दोनों ही रूपों में श्रेष्ठ देवता है।
9.319 इस प्रकार ब्राह्मण यद्यपि निंदित कर्मों से प्रवृत्त होते हैं, तथापि ब्राह्मण सभी प्रकार से पूज्य हैं, क्योंकि वे श्रेष्ठ देवता हैं।[8]
10.3 जाति की विशिष्टता से, उत्पत्ति स्थान की श्रेष्ठता से, अध्ययन एवं व्याख्यान आदि द्वारा नियम के धारण करने से और यज्ञोपवीत संस्कार आदि की श्रेष्ठता से ब्राह्मण ही सभी वर्णों का स्वामी है।
10.35 ब्राह्मण के विषय में यह घोषित है कि वह विश्व का सृजक, दण्डदाता व अध्यापक है और इसलिए वह सभी सृजित मानवों का उपकारक है। कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता है।[9]

डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा है कि मनु ने कुछ परिस्थितियों में ब्राह्मण को दान देना अनिवार्य बताया है, जैसे :–

11.1 उसे जो संतान के लिए विवाह करने का इच्छुक है, उसे जो यज्ञ करना चाहता है, यात्री को, उसे जिसने अपनी सारी सम्पत्ति दे दी है, उसे अपने गुरू, अपने पिता, अपनी माता के लिए भिक्षा मांगता है, वेद के विद्यार्थी को और रोगी को।
11.2 इन नौ ब्राह्मणों को स्नातक समझना चाहिए, जो धर्म के अनुसार पवित्र कर्म करने के लिए भिक्षा लेते हैं। ऐसे इन निर्धन व्यक्तियों को उनकी विद्या के अनुसार दान देना चाहिए।[10]

डॉ॰ अम्बेडकर के अनुसार, मनुस्मृति में दी गई अन्य व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट होता है कि मनु का उद्देश्य ब्राह्मणों को दीनता और अभाव की स्थिति में रखना नहीं था। इस सम्बन्ध में मनुस्मृति में दिए गए आचरण सम्बन्धी उन नियमों पर ध्यान देना होगा, जिनका ब्राह्मण को उस समय पालन करना चाहिए, जब वह विपत्ति में हो। मनु के अनुसार :–

10.80 जितने भी व्यवसाय हैं, उनमें ब्राह्मणों के लिए वेदों का अध्यापन, क्षत्रिय के लिए लोगों की रक्षा करना और वैश्य के लिए व्यापार करना सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय है।
10.31 यदि ब्राह्मण अपने व्यवसाय से जीवन निर्वाह नहीं कर सके, तब क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट व्यवसाय को अपनाकर जीवन निर्वाह करे, क्योंकि वह पद के अनुसार उसके पश्चात आता है।
10.82 यदि वह इन दोनों व्यवसायों से अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सके, तब वह वैश्य की जीवन पद्धति अपनाकर स्वयं खेती व पशुपालन करे।
10.83 जो ब्राह्मण वैश्य की जीवन पद्धति के अनुसार जीवन यापन करता है, उसे सावधानी से कृषि कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक जीवों की हिंसा होती है और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं।

अतः डॉ॰ अम्बेडकर के अनुसार, मनुस्मृति में मनु द्वारा ब्राह्मणों को जो

स्थान दिया गया है, उसके परिपेक्ष्य में इन सीमाओं का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सीमाओं का उद्देश्य यह नहीं था कि ब्राह्मण हानिकर स्थिति में रहे, बल्कि इससे तो यह स्पष्ट होता है कि मनु का उद्देश्य ब्राह्मणों को उस उच्च पद से भ्रष्ट होने से बचाना था, जहाँ उसने उसे प्रतिष्ठित किया और उसका उद्देश्य उसे गैर ब्राह्मणों से निंदित होने से बचाना था,11 इसलिए मनु ने ब्राह्मणों को श्रेष्ठ दर्जा देने के लिए ये अधिकार व कानून स्थापित किए। चारों वर्णों में क्षत्रिय को द्वितीय स्थान दिया गया था। ये राजा या राजन्य होते थे, इसलिए एक–दूसरे से ऊपर या नीचे होने के कारण ब्राह्मण व क्षत्रिय वर्ण में एक–दूसरे के प्रति ईर्ष्या और विद्वेष था। इस ईर्ष्या और विद्वेष से इनमें शत्रुता पैदा हुई। इन दोनों वर्णों में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए लड़ाई होती रहती थी। डॉ॰ अम्बेडकर के अनुसार, मनुस्मृति में क्षत्रिय से सम्बन्धित कानूनी विधाओं का वर्णन इस प्रकार है :–

1.89 प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना, विषय में आसक्ति नहीं रखना संक्षेप में क्षत्रिय के कर्तव्य हैं।[12]
2.135 विद्यार्थी ब्राह्मण को जो चाहे दस वर्ष का ही क्यों न हो और क्षत्रिय को जो चाहे एक सौ वर्ष की आयु का हो, पिता और पुत्र के रूप में समझे। क्षत्रिय युवा ब्राह्मण को पिता समझकर आदर दे।[13]
7.35 राजा का सृजन सभी वर्णों और आश्रमों की रक्षा के लिए किया गया है, जो शुरू से लेकर अन्त तक अपने–अपने धर्म का पालन करते हैं।
7.37 राजा प्रातः काल उठकर ऋग, यजुः, साम के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करे और उनके कहने के अनुसार कार्य करे।
7.38 वह ब्राह्मणों का हमेशा आदर करे, जो आयु और धर्म, दोनों दृष्टियों से वरिष्ठ हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो काया और चित्त से शुद्ध है, क्योंकि जो वरिष्ठ का आदर करता है, वह राक्षसों द्वारा भी हमेशा पूजित होता है।[14]
7.79 राजा अनेक यज्ञ (श्रौत कर्म) करे, जिनमें दक्षिणाएं दी जाए और यश प्राप्त करने के लिए वह ब्राह्मणों को भोग के पदार्थ और धन दे।
7.82 वह उन ब्राह्मणों की पूजा करे, जो गुरू के गृह से (वेद का अध्ययन करने के बाद) वापस आए हैं, क्योंकि जो धन ब्राह्मणों को दिया जाता है, वह राजाओं के लिए अक्षय कोष कहा गया है।[15]
7.134 जिस राजा के राज्य में विद्वान ब्राह्मण क्षुधा ग्रस्त रहता है, उस राजा के राज्य में शीघ्र ही अकाल पड़ता है।[16]
8.123 न्यायप्रिय राजा तीन निचली जातियों (वर्णों) के व्यक्तियों को आर्थिक दण्ड देगा, जिन्होंने मिथ्या साक्ष्य दिया है, लेकिन ब्राह्मण को वह केवल राज्य से निष्कासित करेगा।
9.189 राजा द्वारा ब्राह्मण की सम्पत्ति कभी नहीं ली जानी चाहिए, यह एक निश्चित नियम है, लेकिन अन्य जाति के व्यक्तियों की सम्पत्ति उनके उत्तराधिकारियों के न रहने पर राजा ले सकता है।
9.323 जो राजा यह अनुभव करता है कि उसका अन्त निकट आ रहा है, उसे अपना समस्त धन, जो दण्ड आदि से एकत्र हुआ हो, ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए तथा अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपकर युद्ध क्षेत्र में वीरगति प्राप्त करनी चाहिए।[17]

डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा है कि मनु ने क्षत्रिय राजा को निर्देश दिया कि वह राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रजा से कर वसूल करे। मनु के अनुसार :–

7.127 खरीद और बिक्री की दरों, मार्ग की दूरी, भोजन और मिर्च–मसाले आदि का व्यय, माल लाने पर व्यय, व्यापार में शुद्ध लाभ का पता लगाकर राजा व्यापारियों से बेचने योग्य वस्तुओं पर कर देने के लिए कहे।
7.128 राजा अपने राज्य में उन करों को निरन्तर लगाए, जिनसे उसे और व्यापारी को विभिन्न कार्यों के लिए व्यय की उचित प्रति पूर्ति हो सके।
7.129 जिस प्रकार जोंक, बछड़ा और मधुमक्खी अपना–अपना खाद्य थोड़ा–थोड़ा ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से वार्षिक कर लेना चाहिए।[18]
7.130 राजा को पशु पर, स्वर्ण और चांदी पर, उसमें प्रतिवर्ष वृद्धि होने पर पचासवां भाग, अनाज पर आठवां भाग, छठवां भाग मिट्टी के अंतर और उसे पैदा करने के लिए आवश्यक श्रम के अनुसार कर लेना चाहिए।
7.131 उसे वृक्षों, मांस, मधु, घी, इत्र, औषधि पदार्थ, द्रवों, पुष्पों, कंद और फल पर प्रतिवर्ष वृद्धि का छठवां भाग भी लेना चाहिए।
7.132 एकत्रित पत्तियों, साग–भाजी, घास, चमड़े से बने बर्तन, मिट्टी के बर्तन और पत्थर की बनी चीजों पर छठा भाग कर के रूप में लेना चाहिए।
7.133 चाहे कोई राजा अपूर्ण इच्छाग्रस्त होकर मर भी क्यों न रहा हो, तब भी वह वेदपाठी ब्राह्मण से कर न ले, न ऐसे ब्राह्मण को कष्ट दे, जो उसके क्षेत्र में रह रहा हो और जो भूख से ग्रस्त हो।
7.137 राजा अपने राज्य में रहने वाले लोगों से, जो सामान्यतः व्यापार करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, वार्षिक कर के रूप में कुछ ग्रहण करे।
8.394 राजा अन्धे व्यक्ति से, मूर्ख से, अपंग से, सत्तर वर्ष के वृद्ध से और न उनसे, जो विद्वान ब्राह्मणों के उपकार में रत हैं, किसी भी प्रकार का कर ले।
10.118 जो राजा युद्ध होने पर या आक्रमण होने पर आपात काल में अपनी प्रजा से उसकी पैदावार का चतुर्थांश लेता है और यथाशक्ति अपनी प्रजा की रक्षा करता है, वह कोई पातक कर्म नहीं करता।
10.119 उसका धर्म विजय प्राप्त करना और युद्ध से विमुख नहीं होना है, जिससे जहां वह शस्त्रास्त्र से व्यापारियों और किसानों की रक्षा करता है, वहां वह इस रक्षा करने पर व्यय की पूर्ति के लिए कानूनी तौर पर कर लगाए।[19]
10.120 समृद्धि काल में व्यापारियों पर उनके धन का बारहवां भाग और उनके निजी लाभ का पाँचवां भाग कर रूप में होता है, लेकिन विपत्ति काल में यह उनके धन का आठवां, छठा तथा चौथा भाग भी हो सकता है, जो औसत है। सेवक वर्ग, कारीगर व बढ़ई आदि, जो कोई कर नहीं देते हैं, उन्हें अपने श्रम से सहायता करनी चाहिए।[20]

डॉ॰ अम्बेडकर के अनुसार, मनु यह जानता था कि क्षत्रिय ब्राह्मण के सम्मुख अपना सिर नहीं झुकाएंगे, इसलिए मनु ने क्षत्रियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वे उद्धत होते हैं और विद्रोह की योजना बनाते हैं तो ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार दंडित कर सकते हैं[21]:–

8.267 ब्राह्मण से कटु वचन बोलने वाले क्षत्रिय को सौ पण दण्ड दिया जाए।
8.276 ब्राह्मण और क्षत्रिय द्वारा एक–दूसरे को अपवचन कहने पर राजा ब्राह्मण को सबसे कम और क्षत्रिय को सबसे मध्यम आर्थिक दण्ड दे।[22]
8.337 चोरी करने पर क्षत्रिय को बत्तीस गुना पाप होता है।[23]
8.375 ब्राह्मण की रक्षित पत्नी के साथ व्याभिचार करने पर क्षत्रिय को एक हजार पण का आर्थिक दण्ड दिया जाए और उसका सिर गधे के मूत्र से मुंडवा दिया जाए।24
9.320 जब क्षत्रिय किसी भी प्रकार ब्राह्मणों के प्रति निरंकुश हो जाए, तब ब्राह्मण स्वयं उसे विधिवत नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण से ही उत्पन्न हुए हैं।
9.321 जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय व पत्थर से लोहा उत्पन्न हुए हैं। इन तीनों की बेधक शक्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, जहां से ये उत्पन्न हुए हैं।[25]

अतः डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा है कि मनु ने क्षत्रिय वर्ण के लिए ऐसे नियम बनाए हैं कि वह किसी भी स्थिति में ब्राह्मण का विरोध न कर सके और न ही क्षत्रिय राजा निरंकुश हो सके। मनु ने क्षत्रिय राजा को कहा कि वह ब्राह्मण के अधीन रहकर धर्म का पालन करते हुए शासन करे। उनके अनुसार, मनु ने ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए क्षत्रिय को उनके अधीन रहने को कहा।

वैश्व वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा की जांघों से होने के कारण इसे विभिन्न वर्णों में तृतीय स्थान दिया गया था। डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा है कि मनुस्मृति में वैश्य के व्यवसायों के विषय में नियम दिए गए हैं। जिनका उसे पालन करना चाहिए तथा जिनका वर्णन इस प्रकार है :–

1.90 पशुपालन, दान देना, यज्ञ करना, शास्त्रों को पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज पर ऋण देना और कृषि कार्य करना वैश्यों के कर्त्तव्य निश्चित किए गए।26
10.78 वेदों का अध्यापन, यज्ञ कराना और देना–लेना, ये तीन कर्म वैश्य के लिए वर्जित हैं, क्योंकि प्रजापति मनु ने ये कर्तव्य उन वाणिज्यिक वर्गों के लिए निश्चित नहीं किए गए हैं।
10.79 वैश्य के लिए जीविका निर्वाह के लिए कृषि, व्यापार व पशुपालन आदि कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, लेकिन अगले जन्म की दृष्टि से दान देना, अध्ययन और यज्ञ करना वैश्य के प्रमुख कर्तव्य माने गए हैं।27
10.98 अपने धर्म कार्यों से जीवन निर्वाह न कर सकने वाला वैश्य यह विचार न करे कि उसे क्या किया जाना चाहिए, बल्कि उसे शूद्र द्वारा निर्धारित कार्य को करना चाहिए, लेकिन जब वह समर्थ हो जाए, तब उसे धर्म कार्य से निवृत हो जाना चाहिए।28

डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा है कि वैश्य के अपराध करने पर मनु ने जो दण्ड विधान उसके लिए निर्धारित किए हैं, वह इस प्रकार है :–

8.337 चोरी करने पर वैश्य को सौलह गुना पाप होता है।29
8.375 ब्राह्मण की रक्षित पत्नी के साथ व्याभिचार करने पर वैश्य को एक वर्ष तक जेल में रखने के बाद उसकी सम्पत्ति जब्त करने का विधान है।
8.376 यदि कोई वैश्य, ब्राह्मण वर्ग की स्त्री के साथ व्याभिचार करे और जिसकी रक्षा करने वाला उसका पति घर पर न हो, तब राजा वैश्य को पाँच सौ पण का आर्थिक दण्ड दे।

8.384 यदि कोई वैश्य क्षत्रिय वर्ग की स्त्री के साथ व्याभिचार करता है और वह आरक्षित हो, तब उसे पाँच सौ पण का आर्थिक दण्ड दिया जाए।[30]

शूद्र वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से बताए जाने के कारण इसे चारों वर्णों में अंतिम स्थान दिया गया था। डॉ॰ अम्बेडकर ने शूद्रों से सम्बन्धित मनु के विधानों की मीमांसा करते हुए कहा है कि मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के गृहस्थों को निर्देश देते हुए कहा है कि :–

4.61'वह उस देश में न रहे, जहां का शासक शूद्र है।

डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा है कि मनु के इस नियम का यह अर्थ नहीं हो सकता कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उस देश को छोड़कर चले जाएं, जहां के शासक शूद्र हैं, इसका अर्थ यही हो सकता है कि यदि शूद्र शासक बन जाए तो उसे मार डालना चाहिए । शूद्र को न केवल राजा होने के अयोग्य समझना चाहिए, बल्कि उसे आदर के योग्य भी नहीं समझना चाहिए।[31]

डॉ॰ अम्बेडकर के अनुसार, वर्गीकृत असमानता का सिद्धान्त सम्पूर्ण मनुस्मृति में सभी जगह मिलता है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां मनु ने वर्गीकृत असमानता के सिद्धान्त को आधार न बनाया हो।[32]

डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा है कि मनु के अनुसार, यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को कटुवचन कहे तो एक सौ पण दण्ड, वैश्य ब्राह्मण को अपशब्द कहे तो वह एक सौ पचास पण या दो सौ पण, किन्तु शूद्र को इस अपराध के लिए प्राण–दण्ड देना निर्धारित था। इसके विपरीत यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय का अपमान करे तो पचास पण, वैश्य का अपमान करे तो पच्चीस पण, किन्तु शूद्र का अपमान करने पर केवल साढ़े बारह पण दण्ड देने का विधान था।

डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा है कि मनु के अनुसार, क्षत्रिय की हत्या करने पर ब्राह्मण हत्या के दण्ड का चौथा भाग प्रायश्चित, अपने कर्तव्य में संलग्न वैश्य की हत्या करने पर आठवां भाग प्रायश्चित करेगा। यदि भूल से ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय की हत्या हो जाए तो वह एक बैल और एक हजार गाय ब्राह्मण को दान करे। अपनी वृत्ति में संलग्न वैश्य की अनजाने में हत्या करने पर ब्राह्मण एक वर्ष तक प्रायश्चित करे और एक सौ एक गाय ब्राह्मणों को दान करे, किन्तु शूद्र का अनजाने में वध हो जाने पर छः मास तक प्रायश्चित करे या एक बैल और दस सफेद गाय पुरोहित को दान करे।[33]

डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा है कि शूद्र का प्रमुख धर्म निस्वार्थ भाव से द्विज वर्णों की सेवा करना था। यदि वह अपने धर्म का पालन नहीं करता था तो मनु ने उसके लिए निम्न दण्ड–विधान निर्धारित किए हैं, जो निम्नवत हैं :–

8.270 यदि कोई शूद्र किसी द्विज को गाली देता है, तब उसकी जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि वह ब्रह्मा के निम्नत्तम अंग से पैदा हुआ है।
8.271 यदि वह तिरस्कारपूर्वक उनके नाम और वर्ण का उच्चारण करता है, जैसेः वह यह कहे कि, 'देवदत तू नीच ब्राह्मण है', तब दस अंगुल लम्बी लोहे की छड़ उसके मुख में कील दी जाए।
8.272 यदि वह अभिमानपूर्वक ब्राह्मणों को उनके कर्तव्य के बारे में निर्देश दे, तब राजा उसके मुख में और कानों में गर्म तेल डलवाए।
8.279 नीची जाति का व्यक्ति अपने जिस किसी भी अंग से तीन उच्च जातियों के व्यक्ति को क्षति पहुंचाए, तब उसका वह अंग ही काट देना चाहिए।
8.280 यदि वह अपना हाथ उठाए या लाठी या छड़ी से वार करे, तब उसके हाथ काट दिए जाएं, अगर वह क्रुध होकर अपने पैर से मारे, तब उसके पैर काट दिए जाएं।[34]

डॉ॰ अम्बेडकर ने परवर्ती स्मृतियों में शूद्र से सम्बन्धित विधानों का उल्लेख करते हुए कहा है कि विष्णु स्मृति के अनुसार, शरीर के जिस अंग से निम्न वर्ण का मनुष्य अपने से उच्च वर्ण वाले का अपमान करे, तब राजा को उसके अंग को कटवा देना चाहिए। यदि वह अपने से उच्च वर्ण वाले के आसन पर बैठ जाए, तब राजा उसके चूतड़ को दाग कर उसे देश से निकाल दे। यदि वह थूक दे तो उसके दोनों होंठ कटवा दे। यदि वह अपानवायु विसर्जित कर दे तो उसका पिछला हिस्सा कटवा दे। यदि वह गाली दे तो उसकी जिव्हा कटवा दी जाए। इसी प्रकार यदि निम्न वर्ण से उत्पन्न पुरुष अपने से उच्च वर्ण को गर्वोक्ति से कर्तव्य पालन सम्बन्धी कुछ सलाह दे तो राजा उसके मुंह पर गर्म तेल डलवा दे।[35]

नारद स्मृति के अनुसार, यदि शूद्र द्विज पर मिथ्यारोप लगाता है, तब राजा के अधिकारी उसकी जुबान के टुकड़े–टुकड़े काटकर उसे फांसी पर लटका दे।[36]

डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा है कि मनु ने द्विज वर्णों में से किसी भी वर्ण की स्त्री के साथ शूद्र के सभी विवाह सम्बन्ध निषिद्ध कर दिए थे। शूद्र उच्च वर्ण की स्त्री के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रख सकता था और यदि कोई शूद्र उसके साथ जार कर्म करता है, तब मनु ने उसे ऐसा अपराध घोषित किया, जिसके लिए उसे प्राण–दण्ड दिया जाए[37] तथा जिसका उल्लेख इस प्रकार है :–

8.359 यदि शूद्र वर्ण का कोई व्यक्ति ब्राह्मण की स्त्री के साथ व्याभिचार करता है, तब वह प्राण–दण्ड के योग्य होता है, क्योंकि चारों वर्णों की पत्नियों की निश्चय विशेष सुरक्षा की जानी चाहिए।
8.366 यदि शूद्र उच्च वर्ण में जन्म लेने वाली किसी किशोरी के साथ प्रेम करता है, तब उसे शारीरिक दण्ड दिया जाए, लेकिन जो समान वर्ग वाली किशोरी के साथ प्रेम करे और उस किशोरी का पिता उसे स्वीकार करे, तब वह उसे उचित उपहार आदि देकर उसके साथ विवाह कर दे।[38]
8.374 यदि किसी शूद्र ने उच्च वर्ण की रक्षित या आरक्षित स्त्री के साथ सहवास किया है, तब उसे निम्नलिखित रीति से दण्ड दिया जाए। यदि वह आरक्षित थी, तब उसका लिंग काट दिया जाए, यदि वह रक्षित थी, तब उसे प्राण–दण्ड दिया जाए और उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाए।

डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा है कि मनु इस बात पर बल देता है कि शूद्र नीचे रहेगा, पद के अयोग्य, अशिक्षित, सम्पत्ति रहित और निंदित व्यक्ति रहेगा, उसका व उसकी सम्पत्ति का बलपूर्वक उपयोग किया जा सकेगा। मनु ने ब्राह्मणों को निर्देश देते हुए कहा है कि :–

11.24 ब्राह्मण को यज्ञ के लिए अर्थात धार्मिक कार्यों के लिए शूद्र से भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए।[39]

डॉ॰ अम्बेडकर के अनुसार, प्राचीन काल में वेदों के अध्ययन का तात्पर्य विद्या से था। मनु घोषित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं है और यह अधिकार केवल उच्च वर्णों को ही प्राप्त है। वह शूद्रों को वेद अध्ययन करने से वंचित ही नहीं करता, बल्कि उन व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड की व्यवस्था भी करता है, जो शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने में सहायता करते हैं।

उन्होंने कहा है कि मनु के परवर्ती स्मृतिकार तो वेदों का अध्ययन करने पर शूद्रों के साथ किए जाने वाले निर्दय व्यवहार में मनु से भी आगे निकल गए थे। उदाहरणस्वरूप कात्यायन के नियमानुसार, जो शूद्र किसी को वेद पढ़ते हुए सुन लेता है या वेद के एक शब्द का भी उच्चारण करता है, तो राजा उसकी जिव्हा को चिरवा दे तथा उसके कानों में पिघलता हुआ जस्ता डलवा दे।[40]

बृहस्पति स्मृति के अनुसार, यदि शूद्र धर्मोपदेश दे या वेदोच्चारण करे या ब्राह्मण का अपमान करे, तब उसकी जिव्हा काट देनी चाहिए।[41]

डॉ॰ अम्बेडकर ने कहा है कि वेदाध्ययन के खिलाफ इस प्रकार के प्रतिबंध ने शूद्रों के जीवन में अशिक्षा और अज्ञानता को जन्म दिया, जिस कारण अशिक्षा शूद्रों की नियति बन गई।

डॉ॰ अम्बेडकर का मानना था कि व्यक्ति के विकास के लिए तीन बातों की आवश्यकता होती है–सहानुभूति, समानता और स्वतंत्रता। इस दृष्टिकोण से जब उन्होंने स्मृति साहित्य का गहन विश्लेषण किया तो पाया कि एक ओर तो स्मृति साहित्य में ऐसे विश्वासों की झलक मिलती है कि ब्रह्माण्ड में मानव ही सबसे अधिक मेधावी जीव है, जिसे देवों ने चुना है तथा यह भी कहा है कि मानव प्रकृति की अनोखी कृति है और सभी मानव समान हैं, परन्तु दूसरी ओर देखते हैं कि उनके सामाजिक जीवन में इन उदात्त लक्ष्यों का सर्वथा अभाव था।

अतः कहा जा सकता है कि डॉ॰ अम्बेडकर स्मृतियों में निहित विधि–विधानों के बिल्कुल विरुद्ध थे, क्योंकि इनमें असमानता, अन्याय, अत्याचार, दमन, ऊँच–नीच जैसी प्रवृतियां अन्तर्निहित है। उन्होंने मनुस्मृति को काले कानूनों का पुलिन्दा कहकर आलोचना तथा निन्दा की। उन्होंने कहा है कि विभिन्न वर्णों से सम्बन्धित कानूनी विधाओं पर विचार करते हुए इन कानूनों में भेदभाव नजर आता है।

संदर्भिका

1.बाबा साहेब डॉ॰ अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड्.मय, खण्ड–7, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1995, पृ॰ 223
2.वही, पृ॰ 160
3.वही, पृ॰ 163
4.वही, पृ॰ 161
5.वही, पृ॰ 162
6.वही, पृ॰ 161
7.वही, पृ॰ 163–164
8.वही, पृ॰ 230
9.वही, पृ॰ 153–154
10.वही, पृ॰ 166–167

11.वही, पृ॰ 164
12.वही, पृ॰ 230
13.वही, पृ॰ 239
14.वही, पृ॰ 237–238
15.वही, पृ॰ 166
16.वही, पृ॰ 236
17.वही, पृ॰ 161–162
18.वही, पृ॰ 235
19.वही, पृ॰ 236
20.वही, पृ॰ 236
21.वही, पृ॰ 219
22.वही, पृ॰ 207–208
23.वही, पृ॰ 163
24.वही, पृ॰ 247
25.वही, पृ॰ 219
26.वही, पृ॰ 230
27.वही, पृ॰ 231
28.वही, पृ॰ 233
29.वही, पृ॰ 163
30.वही, पृ॰ 247
31.वही, पृ॰ 198
32.वही, पृ॰ 206
33.वही, खण्ड–13, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2003, पृ॰ 28
34.वही, पृ॰ 245–246
35.वही, खण्ड–13, पृ॰ 28–29
36.वही, खण्ड–13, पृ॰ 34
37.वही, खण्ड–7, पृ॰ 198
38.वही, पृ॰ 246–247
39.वही, पृ॰ 198–199
40.वही, पृ॰ 199
41. वही, खण्ड–13, पृ॰ 29